



# केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

(आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, भारत सरकार)

जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी, अनुसंधान भवन  
नं. 61-65, सांस्थानिक क्षेत्र, सम्मुख "डी" ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी पद्धतियों के विश्वविद्यालयों/पीएच.डी. अध्येतावृत्ति/कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) को संचालित करने वाले संस्थानों के चयन हेतु

**विज्ञापन संख्या 02/2017**

चिकित्सा पद्धति से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं समन्वय हेतु निम्नलिखित केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है:

- i. आयुर्वेद : केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस)
  - ii. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा : केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन)
  - iii. यूनानी : केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम)
  - iv. सिद्ध : केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस)
  - v. होम्योपैथी : केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच)
2. हाल ही में, आयुष मंत्रालय ने आयुष पद्धतियों के क्षेत्र में मेधावी छात्रों को अध्येतावृत्ति उपलब्ध कराने की पहल की है। हाल ही में, मंत्रालय में इस प्रकार के अध्येताओं के चयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर आयुष नेट नामक एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की थी। एक अन्य पहल के अन्तर्गत उन विश्वविद्यालयों/संस्थानों, जो आयुष पद्धतियों में पीएच.डी. कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, को उनके द्वारा संचालित परीक्षा के माध्यम से चयनित मेधावी छात्रों को अध्येतावृत्ति उपलब्ध कराने हेतु अनुदान प्राप्त कराना है। इस प्रकार के अध्येतावृत्तियों की संख्या निम्नलिखित अनुच्छेद 3 में दी गई है। इस संबंध में उपरोक्त वर्णित पांच केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों की ओर से सीसीआरएएस विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा भित्त पोषित अध्येतावृत्ति अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। जो विश्वविद्यालय/संस्थान निम्नलिखित मापदंडों/सुविधाओं को पूर्ण करते हैं वे आवेदन के योग्य हैं:
  - i. आयुष मंत्रालय की प्राथमिकताओं के साथ संरेखित होने वाले विषय क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु सहायता प्रदान करने की क्षमता (प्राथमिक क्षेत्रों को निम्नलिखित पैराग्राफ 4 में वर्णित विवरणानुसार वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया गया)। प्रस्तावित अनुसंधान, 21वीं शताब्दी में आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की समकालीन प्रासंगिकता को बढ़ाने वाला होने चाहिए। इसके लिए, इसे आयुष पद्धति एवं प्राकृतिक/जैविक विज्ञानों के मध्य ज्ञान के समन्वय के विकास में योगदान प्रदान करना चाहिए।
  - ii. औषधियों से संबंधित आयुष शिक्षण एवं जीव विज्ञान में पीएच.डी. कार्यक्रमों का न्यूनतम तीन वर्षों का निष्पादित कार्य रिकॉर्ड होना चाहिए।
  - iii. आधारभूत संरचना यथा- आंतरिक प्रयोगशालाएं, नैदानिक/साहित्यिक/पुस्तकालय सुविधाएं हों अथवा जिनके पास मान्यता प्राप्त संस्थानों में पीएच.डी. प्रदान करने के लिए इन सुविधाओं के साथ अभिज्ञात सहयोगी केन्द्र हों।
  - iv. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त।
  - v. उच्च गुणवत्ता युक्त अनुसंधान मार्गदर्शक।
  - vi. आयुष अथवा औषधि से संबंधित अन्य जैविक विज्ञान (जिसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं यथा-माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मोल्युकुलर, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जूलॉजी, इनवायरमेंट साइन्स, बोटनी, वेटेरिनरी साइन्स, मेथेमेटिक्स एवं सोशल साइन्स) में पीएच.डी. अध्येताओं के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य संकाय।
  - vii. प्रख्यात पत्रिकाओं में प्रकाशित उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान युक्त उच्च प्रभावकारी अनुसंधान पत्रों का ट्रैक रिकॉर्ड।
  - viii. आयुष सदस्यों के चुनाव हेतु एक उचित एवं प्रभावी चयन प्रक्रिया।
3. पद्धतियों के अनुसार अध्येतावृत्तियों की संख्या निम्नवत है:

| अनुसंधान परिषद | विषय                       | अध्येतावृत्ति की संख्या |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| सीसीआरएएस      | आयुर्वेद                   | 05                      |
| सीसीआरवाईएन    | योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा | 01                      |
| सीसीआरयूएम     | यूनानी                     | 01                      |
| सीसीआरएस       | सिद्ध                      | 01                      |
| सीसीआरएच       | होम्योपैथी                 | 02                      |

टिप्पणी: उपरोक्त निर्दिष्ट अध्येतावृत्तियों की संख्या अस्थायी एवं परिवर्तनाधीन है।

4. इच्छुक निजी/सरकारी विश्वविद्यालय/संस्थान जो कि रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन की तिथि तक उपरोक्त वर्णित मानदंडों/सुविधाओं को पूरा करते हैं, रुचि अनुसार संबंधित विषयों यथा- आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी हेतु निर्दिष्ट प्रारूप से अधोहस्ताक्षरी को आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन पत्र अनुसंधान परिषदों की निम्नलिखित वेबसाइटों यथा- CCRAS-<http://ccras.nic.in>, CCRYN- [www.ccryn.org](http://www.ccryn.org), CCRUM- <http://www.ccrum.net>, CCRS- <http://www.siddhacouncil.com>, CCRH-<http://ccrhindia.org> एवं आयुष मंत्रालय- <http://ayush.gov.in> पर उपलब्ध है। आयुष मंत्रालय के इस कार्य को बढ़ावा देने हेतु सहभागिता के लिए इच्छुक विश्वविद्यालयों/संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी स्थिति उपरोक्त पैरा 2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक 8 मानदंड के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें। केवल अंतिम रूप से सूचीबद्ध संस्थानों को सूचित किया जाएगा एवं चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु बुलाया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अद्यतन सूचना हेतु नियमित रूप से इन वेबसाइटों को देखें।

महानिदेशक  
सीसीआरएएस

आवेदन पत्र की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की तिथि से एक माह के लिए होगी।